न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 17/2019

1. पारूल आयु 15 वर्ष पुत्री विजयपाल जाति जाट निवासी 6 एच एल एम (जाखड़ावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ नाबालिक जरिये वाद मित्र जयचन्द पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी वार्ड न. 10 गणेशगढ़ (गांव 51 एल एन पी नरसिहपुरा) तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2. दिवाकर आयु 11 वर्ष पुत्र विजयपाल जाति जाट निवासी 6 एच एल एम (जाखड़ावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ नाबालिक जरिये वाद मित्र जयचन्द पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट निवासी वार्ड न. 10 गणेशगढ़ (गांव 51 एल एन पी नरसिहपुरा) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

———प्रार्थीगण ———

बनाम

1. इन्द्रा पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी 6 एच एल एम (जाखड़ावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. विजय पाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 6 एच एल एम (जाखड़ावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
3. उर्मिला पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी 6 एच एल एम (जाखड़ावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
4. होशियारीलाल आयु 10 वर्ष पुत्र मनोज कुमार जाति जाट निवासी 6 एच एल एम जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ नाबालिक जरिये वादार्थ सरक्षक माता उर्मिला पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी 6 एच एल एम (जाखड़ावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
5. गायत्री आयु 12 वर्ष पुत्री मनोज कुमार जाति जाट निवासी 6 एच एल एम (जाखड़ावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ नाबालिक जरिये वादार्थ सरक्षक माता उर्मिला पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी 6 एच एल एम (जाखड़ावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. मदन सहारण पुत्र प्रेम सहारण जाति जाट निवासी 6 एच एल एम (जाखड़ावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अधिवक्तागण ::–

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल — प्रार्थीगण
2. श्री अशोक चालीया — अप्रार्थी सं. 3 ता 5
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा — अप्रार्थी सं. 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 14/04/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हे। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्न प्रकार से है–यह कि उपरोक्त अनवान का वाद प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा चूका है जिसमे प्रार्थीगण को अपनी सफलता की पूर्ण आशा व

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ठोस आधार है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के परिवार की वंशावली प्रस्तुत की गई है।

यह कि प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व अप्रार्थी स. 1 के पति व अप्रार्थी सं. 2 के पिता तथा अप्रार्थी सं.4 व 5 के दादा व अप्रार्थी सं. 3 के ससुर मनीराम के नाम से चक 5 एच. एल. एम. के प. न. 115/377 के किला न. 1 ता 25 कुल 6.200 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जो मनीराम की मृत्यु के पश्चात विरास्तन अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 के पिता व अप्रार्थी सं.3 के पति मृतक मनोज कुमार के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। जो प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है।

यह कि प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व अप्रार्थी स. 1 के पति व अप्रार्थी सं. 2 के पिता तथा अप्रार्थी सं.4 व 5 के दादा व अप्रार्थी सं. 3 के ससुर मनीराम के नाम से चक 5 एच एल एम के प. न. 115/377 के किला न. 1 ता 25 हैक्टर कृषि भूमि को काश्त करके उसकी आय से अप्रार्थी सं.1 इन्द्रा देवी के नाम चक 5 एच एल एम के प. न. 115/375 के किला न. 10,11,20,21 व प. न. 114/375 के किला न. 2 ता 5 की 1.922 हैक्टर कमाण्ड, अनकमाण्ड भूमि खरीद की। जो प्रार्थीगण के परिवार की सहदायकी सम्पति है।

यह कि मनीराम की मृत्यू हो जाने से चक 5 एच एल एम के प. न. 115/377 के किला न. 1 ता 25 कुल 6.200 हैक्टर भूमि मृतक मनीराम की पत्नी इन्द्रा देवी व दो पुत्र विजयपाल व मनोजकुमार के नाम 1/3–1/3 हिस्सा विरास्तन दर्ज हुई। प्रार्थीगण के चाचा मनोज कुमार की मृत्यु हो चुकी है जिसके कारण मनोज कुमार के विधिक वारिसान को हस्तगत प्रार्थना मे अप्रार्थी स. 3 ता 5 पक्षकार संयोजित किया गया है।

यह कि चक 5 एच एल एम के प. न. 115/377 के किला न. 1 ता 25 कुल 6.200 हैक्टर भूमि एवं प्रार्थीगण के दादा मनीराम व उसके परिवार द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि की आय से 5 एच एल एम के प. न. 115/375 के किला न. 10,11,20,21 व प. न. 114/375 के किला न. 2 ता 5 की 1.922 हैक्टर भूमि खरीद की गई होने से प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 व 4 मे वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 व 2 के नाम दर्ज भूमि प्रार्थीगण की पैतृक व सहदायकी सम्पति होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से अप्रार्थी स. 1 व 2 के बराबर का हक व अधि ाकार उक्त भूमि में कानूनन निहित हो चुका होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उक्त वर्णित भूमि में अप्रार्थी 1 व 2 के बराबर ब हिस्सा बराबर के खातेदार होने की घोषणा करवाने व भूमि विभाजन करवाने के अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी स. 1 ता 6 के मन मे लालच आने की वजह से वे प्रार्थीगण को उनकी पैतृक व सहदायिकी सम्पति से अप्रार्थी सं.1 व 2 प्रार्थीगण को प्राप्त हुये हक व हिस्से से वंचित करने के आशय से प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 व 4 वर्णित भूमि को अप्रार्थी सं. 6 को रहन,बैय व अन्तरण करने व प्रश्नगत भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने के लिये प्रयासरत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार नि[illegible] कि वे प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 व 4 में वर्णित भूमि चक 5 एच एल एम के प. न. 115/377 के किला न. 1 ता 25 कुल 6.200 हैक्टर भूमि व चक 5 एच एल एम के प. न. [illegible]/375 के किला न. 10,11,20,21 व प. न. 114/375 के किला न. 2 ता 5 की 1.922 हैक्टर भूमि मे अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्सा में प्रार्थीगण को अप्रार्थी स. 1 व 2 के बराब[illegible] ब. हि. बराबर के खातेदार कृषक होने की घोषणा करवा देवे व प्रार्थना पत्र की चरण स. 3 व 4 मे वर्णित कृषि भूमि जो प्रार्थीगण की पैतृक व सहदायिकी सम्पति व जिसमे प्रार्थीगण का अप्रार्थी सं. 1 व 2 के बराबर हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं. 6 को किसी प्रकार से रहन बैय व अन्तरण नही करे

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तथा प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि से जबरन बेदखल नही करे तथा भूमि का अच्छी– मन्दी अनुसार विभाजन करवाकर प्रार्थीगण का खाता अप्रार्थीगण से अलग कर देवे पहले तो अप्रार्थीगण आज कल करके टालमटोल करता रहा परन्तु आज से एक सप्ताह पूर्व ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि अप्रार्थी सं. 1 ता 5 अपने नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण को कोई हिस्सा नही देगा व जल्द ही प्रश्नगत भूमि को अप्रार्थी सं. 6 या अन्य व्यक्ति को अन्तरण कर उसमें से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर देगे ।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थीगण को प्राप्त हुये हक व हिस्से से वंचित करने के आशय से प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 व 4 वर्णित भूमि को अप्रार्थी सं. 6 को रहन, बैय व अन्तरण करने व प्रश्नगत भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने के लिये प्रयासरत होने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की वाद कालिन निषेधाज्ञा जारी प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 व 4 में वर्णित भूमि को अप्रार्थी सं.6 या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार से अन्तरण नही करे तथा वे प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि से जबरन बेदखल कर प्रश्नगत भूमि का अधिपत्य प्रतिवादी सं. 6 अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सौपने से निषेध रहे ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय कि वाद कालिन निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 व 4 में वर्णित भूमि को अप्रार्थी सं.6 या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार से अन्तरण नही करे तथा वे प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि से जबरन बेदखल कर प्रश्नगत भूमि का अधिपत्य प्रतिवादी सं. 6 अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सौपने से निषेध रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 की ओर से श्री अशोक चालिया अधिवक्ता की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत है शामिल वाद पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1,2,6 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त है हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 को अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 5 वर्ष से लम्बित है हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है पूर्व में जारी अस्थाई स्थगनादेश ता फैसला दावा कनफर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 30.12.2019 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल पत्रावली दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:03:06 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा